



प्रेस नोट

दिनांक 19.01.2026

## 05 अभियुक्त के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गई।

पुलिस अधीक्षक महोदया हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही / प्रभावी पैरवी के क्रम में न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जनपद हमीरपुर द्वारा जनपद के थाना राठ, थाना मझगवां, थाना जरिया, थाना कुरारा, थाना कोतवाली नगर से सम्बन्धित गुण्डा अपराधी को जनपद हमीरपुर की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित / जिलाबदर किया गया है। पारित आदेश में आदेशित किया गया है कि जिलाबदर की अवधि में निष्कासित / जिलाबदर अपराधीगण अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे एवं 06 माह की अवधि तक जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे तथा बाह्य जनपद में जिस स्थान पर निवास करेंगे उसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी देंगे।

### जिलाबदर किये गये अभियुक्तगण का विवरण:-

- 1.अभियुक्त- अभिषेक कुमार सोनी उर्फ अतुल पुत्र प्रेमचन्द्र सोनी उर्फ कल्लू निवासी मु0 बुधौलियाना, कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर, दिनांक 17.12.2025 से 06 माह।
- 2.अभियुक्त- सन्तू उर्फ सन्तराम लोधी पुत्र उदयभान, निवासी ग्राम टोलारावत थाना मझगवां, जनपद हमीरपुर, दिनांक 24.12.2025 से 06 माह।
- 3.अभियुक्त- अभिषेक पुत्र अमोला उर्फ भागीरथी, निवासी ग्राम छिबौली थाना जरिया जनपद हमीरपुर, दिनांक 24.12.2025 से 06 माह।
- 4.अभियुक्त- सजन निषाद उर्फ हिमान्शू पुत्र श्री रामू उर्फ रामचन्द्र निषाद, निवासी ग्राम कीरतपुर, थाना कोतवाली नगर, जनपद हमीरपुर, दिनांक 17.12.2025 से 06 माह।
- 5.अभियुक्त- जीतू उर्फ जितेन्द्र पुत्र वीरेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम कुतुबपुर, थाना कुरारा जनपद हमीरपुर, दिनांक 30.12.2025 से 06 माह